न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/146

दयालदास आत्मज मुनीम जाति लुहार चेला स्व0 बृजमोहन दास, निवासी खानपोल दरवाजा, नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. मंदिर मूर्ति श्री सत्यनारायण भगवान नाबालिग स्थान खानपोल, नैनवां जिला बून्दी(राज0) जर्ये वली मोहल्लेदारान
2. महेश आत्मज प्रेमशंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी खानपोल दरवाजा नैनवां, तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
3. शिवलाल आत्मज जगदीश सैनी, जाति माली निवासी सत्यनारायण भगवान के मन्दिर के पास, माताजी की गली, नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
4. सब रजिस्ट्रार नैनवां कार्यालय तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1.नन्द सिंह हाडा– अधिवक्ता अपीलांट
2.महेश योगी– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
3.पैरोकार सरकार– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5

निर्णय **दिनांक 14.02.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 19/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 15.02.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मूलवाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा नैनवां मे खानपोल दरवाजा के पास पुरातन कालीन एक मंदिर मूर्ति श्री सत्यनारायण भगवान का नागा साधु सम्प्रदाय की स्थित है जिसमे मूर्तियां भगवान की विराजमान है। जिन्हे श्री सत्यनारायण भगवान के मंदिर के नाम से पुकारा व जाना जाता है। प्रार्थीगण के मोहल्ले मे मंदिर श्री सत्यनारायण भगवान का स्थित है। प्रार्थीगण की मंदिर मूर्ति सत्यनारायण भगवान मे आस्था है और वह नियमित रूप से मंदिर मे दर्शन करने के लिये आते–जाते है, इसलिए भगवान के भक्त के रूप मे व मोहल्लेदारान की हैसियत से उनकी ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मंदिर की प्रकृति सार्वजनिक है। यह मंदिर नागा साधुओं के द्वारा सैकडो वर्षो पूर्व बनाया गया था जिसका समय समय पर जीर्णोद्धार नागा साधुओं द्वारा नियुक्त चेलों द्वारा कराया जाता रहा है। नामा साधुओं की जमात द्वारा बृजमोहनदास को महन्त स्वर्गीय उच्छबलाल जी महन्त की मृत्यु के बाद बनाया गया था। उक्त मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा निर्बाध रूप से होती रहे इसके लिये ग्राम नैनवां द्वितीय पटवार मण्डल नैनवां तहसील नैनवां मे खाता संख्या 249 की खसरा संख्या 2162 रकबा 10 बिस्वा, खसरा सख्या 2163 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 2164 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 2165 रकबा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 2171 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा सख्या 2938 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 3009 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है एवं ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां मे खाता सख्या 404 की खसरा संख्या 2090 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 2096 रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि मंदिर श्री सत्यनारायण जी महाराज की सम्पत्ति है एवं वही तन्हा इस भूमि के मालिक होकर काबिज है। उक्त कृषि भूमि के अलावा नैनवां मेब डे तालाब की पाल पर एक बगीची व नैनवां सदर बाजार मे 2 पक्की दुकाने एवं खानपोल दरवाजे के पास एक नोहरा भी स्वर्गीगय बृजमोहनदास एवं मंदिर श्री सत्यनारायण जी भगवान विराजमान नैनवा की सम्पत्ति है। श्री सत्यनारायण भगवान की उक्त समस्त सम्पत्ति के खातेदार मालिक व काबिज है। नागा सम्प्रदाय के महन्त स्व0 बृजमोहनदास जी ने अपना जो अन्तिम इच्छा पत्र दिनांक 25.11.2009 को लिखा था जो उनकी बीमारी व शारीरिक अक्षमता की अवस्था मे लिखा गया था, जिसमे स्वर्गीय बृजमोहन दास महन्त ने उनका उत्तराधिकारी अप्रार्थी दयालदास एवं उसकी मृत्यु के बाद शान्तिदास श्री दयालदास का उत्तराधिकारी होगा। दिनांक 25.11.2009 को लिखे गये इस वसीयत पत्र के पृष्ठ संख्या 4 के पेरा संख्या 2 मे भी स्वर्गीय महन्त श्री बृजमोहन दास

द्वारा लिखा गया है कि श्री सत्यनारायण भगवान की सेवा पूजा नियमित रूप से परम्परा के अनुसार दयालदास करेगा, किन्तु दयालदास के द्वारा श्री सत्यनारायण भगवान के मंदिर मे स्थित मूर्ति जिसे श्री सत्यनारायण भगवान के नाम से पुकारा जाता है की सेवा पूजा नियमित रूप से विधि विधान द्वारा चेले अप्रार्थी दयालदास द्वारा नहीं की जाती है। तेल भोग बत्ती की व्यवस्था भी दयालदास द्वारा नियमित रूप से नहीं की जाती है। धार्मिक पर्वो पर साज–सज्जा मूर्ति व मंदिर की नहीं की जाती है। इस प्रकार प्रतिवादी दयालदास द्वारा मोहल्लेदारान व नैनवां निवासी हिन्दु समाज के लोगो की भावना को निरन्तर पिछले चार पांच माह से ठेस पहुंचाई जा रही है । कितनी ही बार अप्रार्थी दयालदास मंदिर मे भगवान की मूर्ति के सामने असामाजिक तत्वों के साथ चिल्लम, गाजा पीता रहता है तथा भगवान की आरती भी सुबह शाम नहीं करता है। वसीयत वर्ष 2009 के पेज संख्या 2 के अन्तिम पेरा मे स्पष्ट अंकित है कि उक्त सम्पत्ति जिसमे कृषि भूमि भी है , जिसका स्वामित्व खातेदार सत्यनारायण महाराज होंगे। इस अनुसार मंदिर सत्यनारायण भगवान विराजमान को नैनवां द्वितीय मे स्थित कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। अप्रार्थी का नाम जमाबंदी से खातेदार के रूप मे दर्ज नाम विलोपित किया जावे। ग्राम बामनगांव की कृषि भूमि मे तो मंदिर सत्यनारायण महाराज के नाम का खाता चल रहा है। अप्रार्थी दयालदास ने मंदिर श्री सत्यनारायण महाराज की भूमि का राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर वसीयत के विपरीत अपने नाम पर भूमि का खातेदार के रूप मे इन्द्राज करा लिया जो नल एण्ड वोईड है। इस प्रविष्टी को रद्द कर मंदिर श्री सत्यनारायण महाराज के नाम पर खातेदारी का नैनवां द्वितीय मे स्थित कृषि भूमि का इन्द्राज किया जावे, मंदिर मूर्ति सत्यनारायण महाराज को खातेदार घोषित किया जावे। चेला दयालदास आत्मज बृजमोहन दास का नाम हटाया जावे। वसीयत कृषि भूमि की मंदिर श्री सत्यनारायण महाराज के नाम की गई है। मंदिर श्री सत्यनारायण भगवान जिसमे राधाकृष्ण की मूर्ति रियासतकालीन समय से स्थित है। हिन्दु समाज के सभी धर्म प्रेमी बन्धुओं का एवं नैनवां के सभी हिन्दु समाज के व्यक्तियों व मोहल्लेदारान की आस्था का केन्द्र है, अप्रार्थी दयालदास ने सन् 2009 मे उसके नाम कराई गई वसीयत के पेरा संख्या 3 मे यह स्पष्ट है कि स्व0 बृजमोहन दास महन्त द्वारा घोषणा करने के बाद भी उक्त मंदिर मूर्ति की कृषि भूमि व सम्पत्ति को बैचान या खुर्द–बुर्द दयालदास चेला नहीं करेगा तथा सम्पत्ति की रक्षा करेगा। वसीयत मे वर्णित सम्पत्ति का स्वामित्व खातेदार सत्यनारायण महाराज होंगे, इस वसीयत लेख–पत्र पर अप्रार्थी द्वारा गवाहान की उपस्थिति मे हस्ताक्षर करके स्वयं अप्रार्थी प्रतिबन्धित हो चुका है। इसके उपरान्त भी अप्रार्थी दयालदास कृषि भूमि जिसका कुछ भाग 148 डी नेशनल हाईवे जो नैनवां होकर गुलाबपुरा से उनियारा जाता है, के सहारे गत एक माह से प्लाट काटकर बैचान कर भूमि

को खुर्द–बुर्द करता आ रहा है। इसके लिये उसने 148 डी नेशनल हाईवे के सहारे मुटाम गाडकर बैचान करने के लिये प्लाट काट रखे है। इससे साफ जाहिर है कि अप्रार्थी दयालदास स्व0 बृजमोहन दास द्वारा नियुक्त चेला द्वारा ऐसा कृत्य करने पर मंदिर क्षेत्र खानपोल मोहल्ले के निवासीयों व नैनवां के हिन्दु धर्मावलम्बियों को अप्रार्थी चेले को हटान का अधिकार दे रखा है जिससे भी अप्रार्थी दयालदास को अवगत करा दिया है तथा यह तथ्य उसकी जानकारी मे भी हैं, फिर भी अप्रार्थी गत चार माह से निरन्तर उक्त वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। अन्त मे अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वह वादग्रस्त आराजीयात का बैचान या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें, भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि का बैचान या अन्य प्रकार से अन्तरण करने पर उसका पंजीयन नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 1 को आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी कर भूमि पर गैर कृषि कार्य करने के लिये यदि प्लाट काट दिये जाये तो उनके मुटाम या निर्माण कार्य को मोके पर से हटाया जावे।

3. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र पत्र अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। दिनांक 15.02.2019 को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे होना मानते हुए अप्रार्थी संख्या 1 अपीलांट के विरूद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि वह वादग्रस्त आराजीयात को बैचान, अन्तरण, खुर्द–बुर्द नहीं करे।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। न्यायहित मे अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय नियम एवं सिविल प्रकिया के प्रावधानों से हटकर निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जाप्ता दीवानी व साक्ष्य अधिनियम के मूलभूत सिद्धान्तो के विपरीत जाकर बिना पक्षकारों की अनुमति में जैर अपील निर्णय पारित किया है जो न्यायहित मे निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज है। केवल मात्र खसरा संख्या 2090 और खसरा सख्या 2096 ही मंदिर श्री सत्यनारायण भगवान के नाम दर्ज होते हुए भी सम्पूर्ण आराजीयात के संबंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। विवादित भूमि मंदिर मूर्ति की नहीं है । अपीलान्ट को विवादित भूमि पर सभी हक, अधिकार प्राप्त हैं । रेस्पोडेन्ट का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । हमें मंदिर मूर्ति की भूमि पर कोई अनुतोष नहीं चाहिए । अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओ का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के पक्ष मे होने से अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित होने से अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील

खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2019 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 15.02.2019 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.02.2019 वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर पारित किया गया है । आदेशिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दिनांक 15.04.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 की की ओर से मूल वाद में वकालतनाम पेश हुआ । दिनांक 01.08.2019 को आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ । आदेशिका दिनांक 24.08.2021 में वकील अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत करना अंकित है । पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने में नियत थी । पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट है कि दिनांक 15.02.2019 का आदेश विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर आदेश पारित किया । उक्त आदेश द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का पूर्ण रूप से निस्तारण नहीं हुआ है । दिनांक 15.02.2019 का आदेश पहली तारीख पेशी पर जारी हुआ है तथा यह अंतरिम आदेश की श्रेणी में आता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण किया जाना शेष है । अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषक उपस्थित हो चुके हैं । अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब भी प्रस्तुत कर दिया है । ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत में इस स्तर पर आदेश दिनांक 15.02.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र का निस्तारण भी नहीं हो रहा है । ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षकारान को सुनकर समयबद्ध रूप से प्रार्थना पत्र का अस्थायी निषेधाज्ञा को अंतिम रूप से निस्तारित करना चाहिए ।

9. चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किया गया है । अतः उभयपक्ष विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करवाएं । आदेश दिनांक 15.02.2019 में इस स्टेज पर हमारे द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र के उभयपक्षकारान को सुनकर समयबद्ध रूप से यथाशीघ्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.03.2023 को उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकार
कोटा(राज0)